# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2075/2013/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत तृतीय, जयपुर — अपीलार्थी

बनामव

मैसर्स मंगला प्रोडक्ट प्रा0 लि0,
बी–235 रोड़ नं0 9,
वी.के.आई. एरिया, जयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

**उपस्थित :**

श्री एन.के. बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....विभाग की ओर से
श्री मोती कोटवानी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

**दिनांक : 03.08.2018**

## निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 109/अपील्स–तृतीय/2012–13/ई/वैट में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 22.05.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 58 के तहत पारित आदेश दिनांक 27.02.2012 में आरोपित शास्ति रूपये 1,23,000/– को अपास्त करते हुए अपील स्वीकार की गई है तथा ब्याज के बिन्दु पर कर निर्धारण आदेश की पुष्टि करते हुए अपील अस्वीकार की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा वर्ष 2009–10 के त्रैमासिक बिक्री विवरण पत्र क्रमशः दिनांक 01.01.2010, 12.04.2010, 13.05.2010 एवं 13.05.2010 को प्रस्तुत किये गये जिनमें से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाही के बिक्री विवरण पत्र निर्धारित समयसीमा से क्रमशः 62 दिन, 133 दिन, 87 दिन की देरी से पेश होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस वर्ष का कर निर्धारण सम्पूरित करते समय धारा 58 के तहत शास्ति रूपये 1,23,000/– तथा कर विलम्ब से जमा होने के कारण धारा 55 के अंतर्गत ब्याज 22,675/– का आरोपण करते हुए मांग राशि रूपये 1,51,215/-- की सृजित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने उक्त

निरन्तर.....2

अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति रूपये 1,23,000/– को अपास्त किया एवं ब्याज रूपये 22,675/– को यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त किये जाने के बिन्दु पर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है, अतः उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान की अधिसूचना क्रमांक एफ.16(375) टैक्स/वैट/सीसीटी/06–87 दिनांक 01.06.2011 के द्वारा बिक्री विवरण पत्र प्रस्तुत करने के लिये दिनांक 16.05.2011 तक के लिये समयावधि बढ़ाई गई है। प्रत्यर्थी ने इस बढ़ी हुई सीमावधि से पूर्व सभी चारों ही प्रपत्र प्रस्तुत कर दिये थे, अतः इस अधिसूचना के तहत शास्ति आरोपण अविधिक होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे अपास्त किया गया है। उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी ने राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(92)एफडी/टैक्स/2011–46 दिनांक 15.09.2011 की बढ़ी हुई समय सीमा से पूर्व सभी चारों प्रपत्र प्रस्तुत कर दिये थे व देय कर भी जमा करा दिया था जिससे प्रत्यर्थी उक्त अधिसूचना के तहत लाभ का पात्र है। राज्य सरकार ने इस अधिसूचना के द्वारा ऐसे मामलों में अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति एवं धारा 55 के तहत ब्याज राशि को अधित्यजित (waive) किया है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा आलोच्य अवधि अर्थात वर्ष 2009–10 के चारों तिमाही बिक्री विवरण पत्र इलैक्ट्रोनिकली प्रस्तुत किये गये हैं, अतः इस संबंध में आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.16(375) टैक्स/वैट/सीसीटी/06–87 दिनांक 01.06.2011 लागू नहीं होगी क्योंकि उक्त अधिसूचना के अनुसार व्यवहारीगण द्वारा इलैक्ट्रोनिकली प्रस्तुत की जाने वाले बिक्री विवरण पत्र के प्रस्तुतिकरण से इस शर्त पर छूट दी गई है कि उनके द्वारा नियम 19 में यथावर्णित बिक्री विवरण पत्र, अर्थात Return(s) in manual/hard copy form में दिनांक 16.05.2011 तक प्रस्तुत कर दी जाये। प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा चारों तिमाही रिटर्न इलैक्ट्रोनिक रूप में प्रस्तुत कर दिये गये हैं, अतः उक्त अधिसूचना इस प्रकरण में लागू नहीं होगी। परन्तु राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F.12(92)FD/Tax/2011-46 दिनांक 15.09.2011 का लाभ प्रत्यर्थी को अवश्य उपलब्ध हो सकता है, बशर्ते की वह इसमें दी गई शर्तें पूरी करता हो।

निरन्तर.....3

6. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य वर्ष हेतु प्रत्यर्थी का कर निर्धारण दिनांक 27.09.2012 को सम्पूरित किया है, परन्तु इसमें राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 का न तो कोई संदर्भ उल्लिखित किया है तथा न ही इस अधिसूचना का लाभ प्रत्यर्थी को प्राप्त हो सकने या नहीं हो सकने के बारे में कोई स्पष्ट अभियुक्ति दी है। अतः इस बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 के प्रकाश में समग्र तथ्यों का परीक्षण करते हुए शास्ति एवं ब्याज आरोपणीय होने या अधित्यजित होने के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत देते हुए इस बिन्दु पर तद्नुसार आदेश पारित करेंगे।

7. परिणामस्वरूप शास्ति एवं ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को उपरोक्त निर्देशानुसार जांच पश्चात पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी इस प्रतिप्रेषित प्रकरण का निस्तारण दिनांक 31.10.2018 तक आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित करे।

8. निणर्य सुनाया गया।

03.08.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य